

प्रवर्तन टीम द्वारा अनफिट एवं अवैध एम्बुलेंस संचालन को लेकर चलाया गया
विशेष अभियान

03 दिवसीय अभियान में 772 एम्बुलेंस का चालान और 135 एम्बुलेंस बंद

—परिवहन आयुक्त

लखनऊ : 10 अक्टूबर 2026'

परिवहन मंत्री के निर्देश पर प्रदेश में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा अनफिट एवं अनधिकृत वाहनों के संचालन के खिलाफ परिवहन विभाग द्वारा निजी क्षेत्र की अनफिट एवं अनधिकृत एम्बुलेंस के विरुद्ध 03 दिवसीय विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया।

परिवहन आयुक्त श्री आशुतोष निरंजन ने बताया कि 05, 06 एवं 07 अक्टूबर को चलाए गए इस विशेष अभियान के दौरान विभागीय प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाली एम्बुलेंस के विरुद्ध कार्रवाई की गई। अभियान के अंतर्गत कुल 772 एम्बुलेंस के चालान किए गए, जबकि 135 एम्बुलेंस को बंद कराया गया।

परिवहन आयुक्त ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य एम्बुलेंस सेवाओं के संचालन में निर्धारित नियमों एवं मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। अनफिट एवं अनधिकृत एम्बुलेंस का संचालन मरीजों की सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने वाहन स्वामियों एवं संचालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों के आवश्यक अभिलेख, वैध परमिट, पंजीकरण, फिटनेस प्रमाणपत्र एवं अन्य निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण रखते हुए ही वाहनों का संचालन करें। उन्होंने कहा कि अवैध एवं अनफिट वाहनों के विरुद्ध प्रवर्तन टीम द्वारा अभियान आगे भी चलाए जाएगा।

सम्पर्क सूत्र— आशीष सिंह

अवनीश श्रीवास्तव / 03:54 PM

फोन नम्बर Direct : 0522&2239023 bZ0ih0ch0,Dl0 % 0522&2239132j33j34j35 ,DIVsa'ku : 223 224 225

QSDI ua0 : 0522&2237230 0522&2239586 bZ&esy : upssoochna@gmail.com,

osclkbV %www.information.up.gov.in